नगर परिषद नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/12 से 3/14

भाग–I

1 **(i) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) –खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौपा गया, तदानुसार नगर परिषद नगरोटा बगवां क लेखों का अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2014, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है, किया गया।

अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2014 के दौरान अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का सार	पैरा सं0	राशि ₹ लाख
1	दिनाँक 31.3.2014 को अनुदानों की अनुपयुक्त राशि	5	28.09
2	अनुदान का अन्य कार्यों पर अनियमित व्यय	5 (क)	15.39
3	दिनाँक 31.3.14 को गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष	7 (क)	10.55
4	निधार्रित दरों से गृहकर की माँग न करने के फलस्वरुप कारण परिषद को वित्तीय हानि	7 (ख)	6.64
5	दुकानों, स्टालों/खोखों इत्यादि का किराया वसूली न करना	8	18.63
6	बिजली बिलों का समयवध भुगतान न करने के फलस्वरूप अधिभार का अनियमित भुगतान	14	12.90
7	प्रतिस्थापित मदों का उच्च दरों पर भुगतान के कारण संविदाकारों को अधिक/अनुचित भुगतान	16 (क)	0.84
8	गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगता	16 (ख)	0.11

(ii) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद नगरोटा बगवां के लेखों अवधि 4/12 से 3/14 का वर्तमान अंकेक्षण श्री अशोक कुमार सूद (सहायक नियन्त्रक, ले0प0) व श्री भवनीश पुरी (आर्टिकल असिस्टेंट) द्वारा दिनाँक 13.11.2014 से 10.12.2014 तक के दौरान नगरोटा बगवाँ में किया गया जिस के परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2012–13	4/12	9/12
2013–14	4/13	10/13

वर्ष 2012–13 व 2013–2014 में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रधान (नगर परिषद) व कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद) के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान की।

प्रधान नगर परिषद

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती हिमांद्रि सोनी	1.4.12 से 31.3.14

सचिव/कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद)

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री देसराज चौधरी	2.4.12 से 15.3.13
2	श्री चमन लाल	16.3.13 से 31.3.14

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवार नहीं है। अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

नगर परिषद के लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2014 का अंकेक्षण शुल्क, वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर ₹40200/—आंका गया, इस राशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक ल0प0 की अंकेक्षण अधियाचना संख्या LAD (आडिट) 2014—15/A.K.S/P-137 दिनाँक 10.12.2014 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

नगर परिषद नगरोटा बगवां की अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2012 स 3/2014 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है।

वर्ष 2012—13

प्रारम्भिक शेष	5197824.28
आय	14041194.04
कुल राशि	**19239018.32**
व्यय	17315303.00
अन्तिम शेष	1923715.32
Closing Balance on 31.03.13	1923715.32
Add:	
Adjustments made in cash book in the month of feb 2013 Net difference prior to 1.4.09	291843.73
Interest not taken in cash book prior to 31.3.12	229895.00
Income of Liqour in 2010-11 as per audit report (4/09 to 3/12)	199198.00

Income of dated 19.08.2010 as per previous audit report (4/09 to 3/12)	40310.00
	2684962.05
Less: Bank Charges not taken in cash book prior to 31.3.12	5609.05
	2679352.55

वर्ष 2013–14

प्रारम्भिक शेष	2679352.55
आय	10007612.04
कुल राशि	**12686964.59**
व्यय	11416897.00
अन्तिम शेष	1270067.55

Reconciliation Statement

Closing Balance as per Financial Position 1270067.55

Add:

Cheques issued but not presented for payment in bank upto 31.3.14

Date	Cheque No.	Amount	
02.01.14	59968	5610	
29.01.14	59976	180	
21.03.14	94106	137	
27.03.14	442222	805	
27.03.14	94108	13436	
28.03.14	94112	1166	
29.03.14	94115	21597	
29.03.14	94116	5787	
29.03.14	94117	4860	
31.03.14	94119	3000	
31.03.14	94120	2000	
31.03.14	94121	2000	
31.03.14	94122	2986	63564
Amount Credited in Pass book but not taken in cash book on Dated 19.03.14 & 31.03.14			32590
Balance as per cash book on 31-3-14			1366221-55

Balance as per Pass Book		1366221.55
Detail of Bank Balance:-		
(i)	PNB Nagrota Bagwan A/C No. 0802000100016514	666290.55
(ii)	HGB Nagrota Bagwan A/C No. 88150100003893	699931.00
	Total	**1366221.55**

5 अनुदानः–

नगर परिषद नगरोटा बगवाँ की अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2012 से 3/2014 तक प्राप्त अनुदान राशियों व व्यय की गई राशियों तथा अनुदान के अन्तशेष राशि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिनका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है।

	वर्ष 2012–13	**वर्ष 2013–14**
प्रारम्भिक शेष	4278063	1985827
प्राप्तियाँ	10748755	6212881
योग	15026818	8198708
व्यय	13040991	5389745
अन्तिम शेष	1985827	2808963

दिनाँक 31.3.2014 को ₹2808963/– अनुदान की राशि अनुपयुक्त थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** पर दिया गया है। अतः लम्बे समय से राशि को प्रयोग न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए इसके अतिरिक्त समस्त अनपुयोगी अनुदान की राशि का यथासमय पर व्यय करने के उपरान्त निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) ₹15.39 लाख अनुदान राशि का अन्य कार्य पर अनियमित व्ययः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनाँक 31.3.14 को नगर परिषद के पास **परिशिष्ट "ग"** में दिए गए विवरणानुसार प्राप्त अनुदान राशियो में से ₹2808963 शेष थे जबकि नगर परिषद के खाते में दिनाँक 31.3.2014 का केवल ₹1270067.55 शेष जमा पड़े थे जिससे स्पष्टतया प्रतीत होता है कि परिषद द्वारा प्राप्त अनुदान राशि का उन कार्यों पर जिनके लिए अनुदान राशियाँ प्राप्त हुई थी पर प्रयोग न कर अन्य कार्यों पर प्रयोग कर अिनियमित व्यय किया गया हैं इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है व अनियमित

तरीके से व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके उसे उद्देश्य हेतु व्यय किया जाए जिस हेतु इसे सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था।

(ख) वित्त आयोग के द्वारा जारी सामान्य कार्य अनुदान राशि को शीर्षवार खर्च करने से सम्बन्धित विवरण तैयार न करने बारेः–

निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के ज्ञापन संख्या यू0डी0 एच (सी) (2)–1/2008–IV–339 दिनाँक 04.04.2013 के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के वित्त आयोग के लिए जारी सामान्य कार्य अनुदान राशि को नगर परिषद द्वारा शीर्षवार खर्च किया जाना अपेक्षित है, जिसका शीर्षवार नमूना (परफोरमा) निम्नलिखित हैः–

Sr. No.	Name of Sector	Name of Work	Estimated cost	Workdone (units)	Expenditure
1	Sanitation				
2	Parking				
3	Solid Waste				
4	Drainage				
5	Street Light				
6	E-Governance				
7	Sewerage				
8	Mgt. of asset				
9	Develop/Prot.				
10	Salary & Wages (not more than 20% of total release				
	Total				

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2012–13 व 2013–14 में वित्त आयोग द्वारा जारी सामान्य कार्य अनुदान राशि को शीर्षवार खर्च करने से सम्बन्धित विवरण तैयार नहीं किया गया था व सम्पूर्ण अनुदान राशि का इकटठा रख रखाव नगर परिषद निधि खाते में किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि अनुदान राशि को शीर्षवार खर्च/जिस उद्देश्य हेतु स्वीकृत किया गया है, उन्ही के समरूप राशि को खर्च किया गया है या नहीं। यह एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता/चूक है। अतः नियमों के अनुसार उपर्युक्त विवरणों को तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अवधि 2012–13 व 2013–14 के वित्त आयोग की अनुदान राशि शीर्षवार खर्च करने से

सम्बन्धित विवरण अब तैयार किया जाए व आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाये ताकि अनुदान राशि के व्यय की सत्यता की पुष्टि की जा सके तथा भविष्य में नियमानुसार अनुदान राशि के अभिलेख का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार न करने बारेः—

नगर परिषद की रोकड़ बही की जाँच पर निम्नलिखित कमियाँ पाई गई जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए।

(1) रोकड़ बही के सामान्य लेखन नियमों अनुसार माह में अर्जित आय व खर्च की गई राशि को माह के आरम्भिक शेष में जमा व घटाने पश्चात जो अन्तशेष बचता है उस राशि को अगले माह में प्रारम्भिक शेष के रूप में लिया जाता है। परिषद रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ऐसा न कर बैंक समाधान उपरान्त प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरण में दर्शाई राशि को जोकि बैंक में जमा माह के अन्तशेष के बराबर होती है को प्रारम्भिक शेष के रूप में दर्शाया जा रहा है न की नियमानुसार माह में अर्जित आय व खर्च की गई राशि को माह के आरम्भिक शेष में जमा व घटाने पश्चात जो अन्तशेष बचता है परिणामस्वरुप वास्तविक अन्त शेष, प्रत्येक माह का रोकड़ बही का अन्तशेष व अगले माह के प्रारम्भिक शेष में अन्तर रहता है जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट होता है ।

माह	रोकड़ बही अनुसार अन्तशेष	बैंक समाधान अनुसार अन्तशेष	अगले माह में लिया आरम्भिक शेष
6/13	2201494.55	2103727.55	2103727.55
7/13	3139255.55	3141728.55	3141728.55
8/13	2603194.55	2676673.55	2676673.55

अतः नगर परिषद द्वारा रोकड़ बही लेखन नियमों अनुसार माह में अर्जित आय व खर्च राशि को आरम्भिक शेष में जमा व घटाने पश्चात जो अन्तशेष बचता है उस राशि को अगले माह में प्रारम्भिक शेष के रूप में न लेने के कारण जहाँ एक तरफ नियमों कि अवहेलना की जा रही है वहीं रोकड़ बही में चूक की सम्भावना भी बनी रहती है। अतः नियमानुसार रोकड़ न लिखने का कारण स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में रोकड़ बही लेखन नियमों अनुसार रोकड़ बही का रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए।

7 गृहकरः—

गृहकर की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः—

(क) दिनाँक 31.3.14 का गृह कर की राशि ₹10.55 लाख वसूली हेतु शेषः—

जाँच में पाया गया कि दिनाँक 31.3.14 को गृहकर के रूप में ₹1055113/— वसूली हेतु शेष थे जिस का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "घ"** में दिया गया है निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी0—एच0ए0 (7)—1/87—9237, 9284 दिनाँक 20.6.2001 के द्वारा करों आदि के शत प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने को कहा गया था लेकिन इसके सम्बन्ध में नगर परिषद द्वारा कोई उचित कदम नही उठाए गए है परिणामस्वरूप 31.3.14 को बकाया ₹330179.00 बढ़कर 31.3.14 ₹1055113 हो गई।

गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः परामर्श दिया जाता है कि इतनी अधिक राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाए जाएँ ताकि राशि को जनकल्याण हेतु प्रयोग लाया जा सके।

(ख) निर्धारित दरो पर गृहकर की माँग न करने के कारण नगर परिषद को ₹663660.00 की वित्तीय हानिः—

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(c)(10)-7/98-II दिनाँक के अनुसार वर्ष 2007—08 से गृहकर की माँग 12.5% की दर से की जानी अपेक्षित थी परन्तु अभिलेख की जाँच उपरान्त यह पाया गया कि वर्ष 2012—13 एवं वर्ष 2013—14 में गृहकर की माँग उपरोक्त दरों के अनुसार नहीं की गई जिस कारण नगर परिषद निधि को ₹663660.00 की वित्तीय हानि हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	जिस दर पर माँग की गई	माँग की गई राशि	जिस दर पर माँग की जानी थी	जितनी माँग की जानी थी	अन्तर की राशि
2012—13	7.5%	285980	12.5%	476633	190653
2013—14	8.5%	1005140	12.5%	1478147	473007

कुल योग ₹663660

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में इस सम्बन्ध में उठाई आपत्तियों के बावजूद भी गृहकर की नियमानुसार वसूली नहीं की जा रही है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए यह प्रकरण निर्देशक शहरी विकास विभाग के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(ग) गृहकर के माँग व प्राप्ति रजिस्टर का उचित रख रखाव न करने बारेः—

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/2012 से 03/2014 तक गृहकर के माँग व प्राप्ति रजिस्टर का उचित रख रखाव नहीं किया गया है जैसे क्षेत्र व कर की दर इत्यादि का पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है यह एक अत्यन्त गम्भीर चूक है। अतः नियमानुसार अभिलेख का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार (जैसेः– क्षेत्र व कर कि दर इत्यादि) का पूर्ण विवरण गृहकर के माँग व प्राप्ति रजिस्टर में दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) गृह कर माँग व वसूली रजिस्टरों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करनाः—

जाँच में पाया गया कि नगर परिषद के वर्ष 2012–13 के गृहकर माँग व वसूली रजिस्टरों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि बिना किसी निरीक्षण के गलती की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः गृहकर माँग व वसूली रजिस्टरों को सत्यापित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा गृहकर माँग व वसूली रजिस्टरों का सक्षम अधिकारी से सत्यापन करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ङ) वर्ष 2013–14 के गृहकर माँग व वसूली रजिस्टरों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारेः—

नगर परिषद द्वारा वर्ष 2013–14 के गृहकर माँग व वसूली रजिस्टरों को आवश्यक जाँच हेतु लेखा परीक्षा मे ंप्रस्तुत नहीं किया गया जिस हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 125 दिनाँक 01.12.14 द्वारा भी अनुग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक न तो अधियाचना का उत्तर दिया गया न ही सम्बन्धित रजिस्टरो ंको आवश्यक जाँच पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया

गया। अतः सम्बन्धित रजिस्टरों को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(च) ₹33129/– गृहकर की बकाया राशियाँ को माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर में न दर्शाने बारेः–

माँग व वसूली रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित गृहकरदताओं की बकाया राशियो को माँग व वसूली रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। व गृहकर की बकाया राशियों को सम्बन्धित करदाताओं के माँग प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज करके वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	वर्ष	माँग व वसूली रजिस्टर पेज नं0	माँग व वसूली रजिस्टर क्रम सं0	नाम	वास्तव में बकाया राशि	दर्शाई गई बकाया राशि	अन्तर
1	12–13	19	215	रसीला राम	6120	–	6120
2	12–13	20	217	सर्वचना राणा	5921	–	5921
3	12–13	26	34	सुमिन्द्र कुमार	100	–	100
4	12–13	27	45	रणवीर सिंह	350	–	350
5	12–13	35	145	ममता देवी	1680	–	1680
6	12–13	35	146	कौशल्या देवी	1000	–	1000
7	12–13	41	23	चरणजीत सिंह	1000	–	1000
8	12–13	42	29	मोहना गिरि	500	–	500
9	12–13	44	67	अनूप चन्द	300	–	300
10	12–13	51	151 B	दविन्द्र कुमार	1063	–	1063
11	12–13	58	6	निर्मल कुमारी	100	–	100
12	12–13	60	27	प्रकाश चन्द	2900	–	2900

13	12–13	66	109	अनिल कुमार	500	–	500
14	12–13	70	130	सुशील कुमार	3500	–	3500
15	12–13	82	8	रोशन लाल	100	–	100
16	12–13	16	134	चतर्भुज शर्मा	6695	–	6695
17	12–13	17	145	स्नेह लता	100	–	100
18	12–13	20	168	कर्म चन्द	600	–	600
19	12–13	37	74	साया देवी	500	–	500
20	12–13	40	99	अश्वनी कुमार	100	–	100
						कुल योग	**₹33129**

8 दुकानों/स्टालों/खोखों इत्यादि से प्राप्त होने वाले किराय की राशि ₹1862592/– की वसूली न करनाः–

(क) नगर परिषद द्वारा विभिन्न स्थानों पर दुकानों/स्टालों/खोखों इत्यादि को किराए/पट्टे पर आबन्टित किया गया है तथा इनका किराया नगर परिषद की आय का मुख्य स्त्रोत है। संस्था द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना जिस का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ"** में दिया गया है के अनुसार दिनाँक 31.3.2014 को किराए के रूप में ₹1862592/– वसूली हेतु लम्बित थे। इतनी अधिक राशि का वसूली हेतु बकाया रहना एक चिन्तनीय विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि किरायेदारों से राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाए जाएँ ताकि राशि को जनकल्याण हेतु प्रयोग लाया जा सके।

(ख) ₹4090/– की किराये की बकाया राशियाँ माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर में कम दर्शाने बारेः–

माँग व वसूली रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार किराये की बकाया राशियों को माँग व वसूली रजिस्टर में कम दर्शाया गया।

क्र0सं0	वर्ष	किराया रजिस्टर पेज नं0	दुकान नं0	नाम	वास्तव में बकाया राशि	दर्शाई गई बकाया राशि	अन्तर

1	13–14	22	11	अशोक कुमार	870	800	70
2	13–14	6	3	अनिल कुमार	76200	76180	20
3	13–14	22	78	प्रकाश चन्द	17490	16890	600
4	13–14		98	विवेक महाजन	10800	7400	3400
							4090

अंकेक्षण के दौरान मामला उठाने पर कम दर्शाई बकाया राशि ₹4090.00 से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर में दर्ज की ली गई भविष्य में किराये की माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर के उचित रख रखाव की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

9 ग्रेच्युटी फण्ड से सावधि जमा में निवेश न करने से आय की हानिः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ग्रेच्युटी फण्ड में किये जा रहे अंशदान को कां0सै0कोप0 बैंक के बचत खाता संख्या 9997 में जमा किया जाता है दिनाँक 31.3.14 को यह राशि ₹736257/– हो गई तथा बैंक द्वारा इस राशि पर साधारण ब्याज दिया जाता रहा है जो केवल 4% है। अगर इस राशि को सावधि जमा योजना में निवेश किया जाता तो इस राशि पर उच्च दर लगभग 9% की दर पर ब्याज अर्जित किया जा सकता था। हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 56 के अनुसार नगर परिषद अपनी अतिरिक्त जमा राशियों को राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकघर इत्यादि में सावधि जमा योजना में निवेश कर सकती है लेकिन नगर पंचायत द्वारा जरूरत अनुसार राशि को निवेश नहीं किया गया जिसके अभाव में ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्ति से वंचित होना पड़ा। अतः एकत्रित अधिकतम राशि को उचित भागों में बांटकर सावधि जमा में निवेश किया जाए जिस नियमित रूप से अतिरिक्त ब्याज की आय प्राप्त हो सके।

(ii) जाँच में पाया गया कि ग्रेच्युटी फण्ड में माह 4/13 के पश्चात माह 10/14 तक 18 माह में केवल 2 माह 2/2014 व 8/2014 का ही अंशदान क्रमशः ₹14525/– व ₹14553 जमा करवाया गया है। अतः 16 माह क अंशदान लगभग ₹225000/– जमा न करवाने का

कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब जमा करवा कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त इस निधि हेतु रोकड़ बही का रख रखाव नहीं किया गया जो एक गम्भीर चूक है जिसका कारण स्पष्ट किया जाए जिसे अब अविलम्ब तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 श्री अशोक कुमार (कनिष्ठ सहायक) को टाईपिंग भत्ते के रूप में ₹8025/– का अनियमित भुगतानः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि श्री अशोक कुमार (कनिष्ठ सहायक) को टाईपिंग भत्ते के रूप में ₹75/– प्रतिमाह की दर पर भुगतान किए जा रहा है जबकि 1.1.06 से नये वेतनमान के भुगतान करने की तिथि से इस भत्ते का भुगतान बन्द कर दिया गया है परन्तु श्री अशोक कुमार को इस भत्ते का भुगतान किया जा रहा है जिसे नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा अनियमित रूप से किये जा रहे भुगतान को अविलम्ब रोक जाए व दिनाँक 1.1.06 से माह नवम्बर 2014 तक कुल 107 माह तक ₹75 प्रतिमाह की दर पर किये गये भुगतान ₹8025/– की वसूली कर परिषद कोष में जमा करवा कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

11 वाउचर संख्या 12 दिनाँक 11.10.13 के अन्तर्गत नगर परिषद कर्मचारियों के वेतन में, माह 4/2013 देय माह 5/2013 तथा 5/2013 देय माह 6/2013 में जीवन बीमा निगम के अंशदान/कटौती को जीवन बीमा निगम के पास जमा करवाया गया। इस कुल भुगतान ₹21597/– के समर्थन में प्रमाणित किया गया कि कर्मचारियों के वेतन से जीवन बीमा निगम की कटौती माह 6/2013 से 10/2013 तक का जमा नहीं करवाया गया है । अतः दो माह की राशि को जमा करवाया गया। अतः राशि को जमा करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(क) जीवन बीमा की आवश्यक कटोती को समय पर जमा न करने के अभाव में जिन कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई, उनकी पालिसी के बन्द हो जाने की सम्भावना रहती है तथा किसी प्रकार की दुर्घटना में कर्मचारियों को उनके द्वारा पालिसी के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है । अतः जीवन बीमा निगम में कटौती की गई राशि समय पर जमा न करवाने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में इस अत्यन्त आवश्यक कटौती का समय पर जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) Establishment Check Register/वेतन भुगतान रजिस्टर का रख रखाव न करने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अपने कर्मचारियो को किए गए वेतन भुगतान से सम्बन्धित कोई अभिलेख (Establishment check Register/वेतन भुगतान रजिस्टर) तैयार नहीं किया गया है जो एक अत्यन्त आवश्यक अभिलेख है जिसकी अनुपलब्धता में प्रत्येक कर्मचारी को किये गये वेतन भुगतान, उसमें कोई अधिक/गलत भुगतान को नकारा नहीं जा सकता है विशेषकर ऐसी अवस्था में जब कर्मचारियों को इकटठे 3–4 माह के वेतन का भुगतान किया जाता है, किसी माह में अकेले केवल सफाई कर्मचारियो को ही वेतन भुगतान किया जाता है, बिना ई0सी0आर0 के यह कदापि सम्भव नहीं है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी कर्मचारी को अधिक/दोहरा वेतन भुगतान नहीं किया गया है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस अत्यन्त आवश्यक अभिलेख को तैयार कर वेतन भुगतान करने का परामर्श दिया गया था परन्तु इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जो एक चिन्तनीय विषय है जिसका कारण स्पष्ट किया जाए व जिसे अब अविलम्ब तैयार करके प्रविष्टियाँ सक्षम अधिकारी द्वारा भी सत्यापित करवाई जानी सुनिश्चित किया जाए।

(ग) वाउचर संख्या 8 दिनाँक 7.10.13 के अन्तर्गत ₹1600/– का भुगतान श्री चमन लाल कार्यकारी अधिकारी को माह 6/2013 से 9/2013 तक 4 माह के मोबाईल बिल ₹400/– प्रतिमाह की दर पर किया गया। निदेशक, शहरी विकास द्वारा अपने पत्र संख्या UD-HC-(7)-19/97-11-10199-10246 दिनाँक 15.9.2007 के अन्तर्गत इस भत्ते को ₹400 दो माह (Bi monthly) के लिये भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई थी और वह भी नगर परिषद के अनुमोदन उपरान्त। अतः इस भुगतान के समर्थन में नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई अनुमति व पारित प्रस्ताव दर्शा कर किय गये भुगतानों को उचित ठहराया जाये तथा दो माह की जगह प्रत्येक माह में किये गये ₹400/– के गलत भुगतान/अधिक भुगतान की वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) (i) वाऊचर संख्या 19 माह 10/2013 के अन्तर्गत कुल ₹1147180/– की निकासो, नगर परिषद कर्मचारियों को माह 8/2013 व 9/2013 के वेतन भुगतान करने हेतु की गई। जाँच मे ंपाया गया कि इस भुगतान में कार्यकारी अधिकारी को माह 9/2013 व 10/2013 के वेतन का भुगतान किया गया इस प्रकार कार्यकारी अधिकारी को माह 10/2013 का वेतन माह समाप्ति से पूर्व माह 10/2013 में ही कर दिया गया जबकि नियमानुसार यह भुगतान

माह 11/2013 में किया जा सकता था। अतः माह 10/2013 के वेतन का 1 माह पूर्व भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब वेतन भुगतान रजिस्टर/ई0सी0आर0 को तैयार कर तथा वर्ष 2012–13 व 2013–14 में किये गये वेतन भुगतान का ईन्द्राज लेकर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी कर्मचारी को कोई अधिक/दोहरा भुगतान नहीं किया गया है। की गई कार्यवाही आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाई जाए।

(ii) जाँच में पाया गया कि कार्यकारी अधिकारी के वेतन से कोई भविष्य निधि अंशदान की कटौती नहीं की गई है जिसका कारण स्पष्ट किया जाए व की गई कार्यवाही को नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार कटौती कर व खाते में जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण म दर्शाई जाए।

(iii) वाउचर संख्या 1 माह 8/2012 क अन्तर्गत ₹5000/– की निकासी श्री चमन लाल, कार्यकारी अधिकारी के वेतन से काटे गये भविष्य निधि अंशदान के भुगतान स्वरूप की गई। इस राशि को किसे प्रदान किया गया, किन आदेशों के अन्तर्गत निकासी की गई कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि इस राशि का दुरूपयोग किया गया है। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शा कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाए अन्यथा किसी प्रकार के दुरूपयोग की अवस्था में उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए व की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 (i) न्योक्ता अंशदान को पैन्शन फण्ड खाते में अनियमित रूप से जमा करवाने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंशदायी भविष्य निधि खाताधारकों से सम्बन्धित दिया जाने वाला मासिक नगर परिषद अंशदान, अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा न करवाकर पैन्शन फण्ड में जमा करवाकर राशि से नगर परिषद के पैन्शन भोगी कर्मचारियो को उनकी पैन्शन का भुगतान कर दिया जाता है जो नियमों की अवहेलना है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 8.3 में भी इस विषय को उठाया गया था। पुनः अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 152 दिनाँक 21.11.14 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के साथ उठाया गया। कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या 830 दिनाँक 10.12.14 द्वारा सूचित किया गया कि सम्बन्धित राशि को अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा करवाकर आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा। अतः राशि को ब्याज सहित जमा करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह की अंशदान राशि का

सम्बन्धित खाते में जमा करवाया जाना व तदानुसार उनके व्यक्तिगत खाते में भी क्रेडिट किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) पैन्शन/उपदान निधियों से सम्बन्धित रोकड़ बही का रख रखाव न करने बारेः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 8.4 व 8.7 में नगर परिषद प्रशासन से नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाली पैन्शन एवं उपदान निधि में व अंशदायी पैन्शन निधि में दिए गए नगर परिषद अंशदान हेतु अलग अलग रोकड़ बही का रख रखाव करने बारे परामर्श दिया था ताकि सुव्यवस्थित ढ़ंग से खातों का रख रखाव सम्भव हो सके। इसी प्रकार सामान्य भविष्य निधि व अंशदायी भविष्य निधि हेतु कर्मचारियों के वेतन से काटे गये अंशदान राशि की रोकड़ लगाने हेतु परामर्श दिया जाता था ताकि जहाँ एक तरफ लेखों का रख रखाव नियमानुसार किया जा सके वहीं कर्मचारियों को भी उनकी राशि पर उच्च दरो पर ब्याज अर्जित हो सके व लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि वर्तमान में नगर परिषद द्वारा की गई कटौती को प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में जमा करवा दिया जाता है जहाँ उसे सामान्य दर पर ब्याज अर्जित होता है वहीं अगर नियमानुसार इन निधियों का संचालन किया जाए प्रत्येक निधि की रोकड़ बही बनाकर, एक बैंक खाता बनाकर, अतिरिक्त राशि को सावधि जमा योजना में निवेश कर व प्रत्येक कर्मचारी का खाता बनाकर संचालन किया जाए तो जहाँ कर्मचारियों को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय भी अर्जित होगी वहीं नियमानुसार संचालन भी होगा व किसी प्रकार की चूक को भी नकारा जा सकेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही बनाकर खातों का संचालन सुनिश्चित किया जाए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(iii) बजट में अनुमानित आय का 1% भाग पैन्शन/उपदान कोष में नियमानुसार हस्तांतरित न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG-B (1)-1/79-III दिनाँक 25.4.2000 के क्रम संख्या 16 के अनुसार, बजट में अनुमानित आय का **1%** के बराबर का शेयर पैन्शन/उपदान कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु नगर परिषद द्वारा राशि सम्बन्धित कोष में जमा नहीं करवाई जा रही है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 8.6 में भी उपरोक्त नियम की अनुपालना में राशि स्थानांतरित/जमा कराने का परामर्श दिया गया था, परन्तु नगर परिषद द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जिसका कारण स्पष्ट किया

जाए व अविलम्ब नियमों की अनुपालना कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

13 रैहन बसेरा का सदुपयोग न किये जाने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ₹17.29 लाख व्यय कर निर्मित रैहन बसेरा से बहुत कम आय प्राप्त हो रही है। अतः अंकेक्षण द्वारा अपनी अधियाचना संख्या 155 दिनाँक 22.11.14 द्वारा पूर्व आय व्यय का विवरण प्रदान करने को कहा गया। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा अपने पत्र संख्या 829 दिनाँक 10.12.14 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि वर्ष 2012–13 व 2013–14 में नगर परिषद को रैहन बसेरा से केवल ₹9620/– की आय हुई अर्थात औसतन (₹13 प्रतिदिन) अतः ₹17.29 लाख व्यय कर निर्मित भवन से प्रतिदिन औसतन केवल ₹13 प्रतिदिन की आय अर्जित किया जाना नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है तथा स्पष्ट प्रकट करता है कि भवन का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। चूकिं कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र में अंकेक्षण का सूचित किया गया कि 2 वर्षों में रख रखाव पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि इस भवन को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है वर्ना इसके रख रखाव पर बिजली, पानी, चौकीदार, सफाई इत्यादि पर कुछ न कुछ आवश्यक व्यय किया जाता।

अतः यह मामला निदेशक, शहरी विकास व अन्य परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है। नगर परिषद द्वारा इतनी बड़ी राशि व्यय कर भवन का निर्माण तो किया गया परन्तु उसका सदुपयोग न किया जा रहा है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब इस भवन के कुशल संचालन हेतु कदम उठाए जायें जहाँ भवन का सदुपयोग भी हो सके व नगर परिषद को कुछ आय भी अर्जित हो सके।

14 बिजली के बिलों में अधिभार की राशि ₹1289723.00 का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण अधियाचना सं0 156 दिनाँक 22–11–14 के उत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि अवधि 2002–03 से 06/2013 तक स्ट्रीट लाईट के बिलों की राशि ₹62,22,834.00 भुगतान के लिए देय थी। इस राशि में विद्युत प्रभार के रूप में ₹ 30,10,277.00 तथा अधिभार की राशि ₹3212557.00 थी। माह 7/13 के दौरान निदेशक शहरी विकास द्वारा परिषद को अनुदान राशि में से मु0 ₹ 43.00 लाख रूपये का भुगतान अपने स्तर पर

हि0प्र0 विद्युत निगम को स्ट्रीट लाईट के देय बिलों के लिय किया गया। भुगतान की गई राशि ₹43.00 लाख में, 2002–03 से 6/13 तक बिजली के बिलों को देय राशि ₹3010277.00 तथा विद्युत अधिभार की राशि ₹128973.00 सम्मिलित की गई प्रतीत होती है। अतः परिषद अधिभार के रूप में भुगतान की गई राशि ₹1289723 का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा राशि की वसूली उचित माध्यम से करने के पश्चात परिषद में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

15 परिषद द्वारा निर्माण कार्य समयबद्ध निष्पादन न करने के फलस्वरूप ₹7 लाख अनुदान राशि की प्राप्ति से वंचित होनाः–

नगर परिषद द्वारा गाँधो ग्राउंड के विकास व नगर में हाई मास्ट लाईट लगाने हेतु ₹3500000 का प्रकलन तैयार किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1	Water fall landscoping and development of Gandhi ground with indoor koshti stadium	1646600
2	Caretaker hut	334500
3	Chain link fencing	346800
4	Provision of music system on National Highway and grand	175000
	Grand total for Dev. of Gandhi Ground	2502900
5	Installaton of High MAST light	1000000

इस अनुमान पत्र के विरूद्ध, जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या पत्र 4–31/2008–DTO (DMA) -1137 दिनाँक 18.10.11 के अन्तर्गत नगर परिषद को इन कार्यों के लिए पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहमति से अवगत करवाया तथा कार्यों हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹17.50 लाख नगर परिषद को प्रदान किये गये जिसका विवरण निम्नलिखित है।

1	गाँधी ग्राउंड के विकास हेतु राशि	₹1250000
2	हाई मास्ट लाईट लगाने हेतु राशि	500000
		1750000

उपरोक्त राशि उपरान्त पत्र संख्या 4–31/2008–DTO-(DMA)-1-1897 दिनाँक 21.3.2013 द्वारा दूसरी किश्त के रूप में ₹1050000/– प्रदान किये जिसका विवरण निम्न प्रकार से है

1	गाँधी ग्राउंड के विकास हेतु राशि	750000
2	हाई मास्ट लाईट लगाने हेतु राशि	300000

कुल राशि ₹1000000

वर्णित पत्र में भारत सरकार द्वारा नगर परिषद को सूचित किया गया चूकिं कार्यों हेतु 80% राशि जारी की जा चुकि है। अतः कार्य को पूर्ण कर ₹35 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा तो कार्य की अन्तिम किश्त राशि ₹7 लाख नगर परिषद को जारी कर दी जायेगी।

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा हाई मास्ट लाईट लगाने हेतु प्राप्त अनुदान राशि ₹8 लाख (₹5+3 लाख) के विरूद्ध ₹977450 व्यय किये जिनका विवरण निम्नलिखित हैः–

1	2 नं0 हाई मास्ट लाईट	960000
2	लाईट के चारों तरफ ग्रिल लगाना	17450
		₹977450

इसी प्रकार गाँधी ग्राउंड के विकास हेतु प्राप्त कुल अनुदान राशि ₹20 लाख (12.50 लाख +7.50 लाख) के विरूद्ध ₹1592520 व्यय किये गये व कार्य बन्द कर दिया गया जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

1	Cost of steel benches	149800
2	Security Deposited with H.P.S.E.B.	15940
3	C/O Core taken room	125000
4	Remuration paid to Architact for prepration of D.P.R.	9000
5	C/O Water fall and Foundation	503108
6	Cost of water fall and fourtain	325755
7	Cost of wire	100079
8	C/O waterfall and fountain (Balance payment)	175614
9	R/O water fall and fountain	22050
10	Fencing of Gandhi Ground	160079
11	Tast of three face meter	6095
	Total Exp.	**1592520**

इस प्रकार नगर परिषद द्वारा हाई मास्ट लाईट लगाने हेतु प्राप्त स्वीकृति राशि ₹10 लाख में से प्राप्त राशि ₹8 लाख के विरूद्ध ₹977450/– व्यय किये गये वहीं दूसरी तरफ

गाँधी ग्राउंड के विकास हेतु प्राप्त स्वीकृति ₹25 लाख के विरूद्ध प्राप्त ₹20 लाख में से केवल ₹1592520/– व्यय कर कार्य बन्द कर दिया गया।

नगर परिषद प्रशासन की इस अकर्मणयता के कारण जहाँ एक तरफ नगर के विकास कायों गाँधी ग्राउंड का विकास रूक गया वहीं भारत सरकार से नगर के विकास हेतु प्राप्त होने वाली शेष अनुदान राशि ₹7 लाख से भी वंचित होना पड़ा। अतः यह मामला निदेशक शहरी विकास के विशेष ध्यान में लाया जाता है कि ताकि इस चूक सुधार हेतु उचित कदम उठाए जा सके व परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब कार्य पूर्ण कर व भारत सरकार द्वारा स्वीकृति शेष राशि प्राप्त की जाए ताकि नगर का विकास भी हो व जनता को अधिकाधिक सुविधा भी उपलब्ध हो सके।

16 गाँधी ग्राउंड में वाटर फाल व फव्वारे का निर्माण कार्य में संविदाकार को अनुचित भुगतान बारेः–

ठेकेदार का नामः– श्री पवन ठाकुर

माप पुस्तिका संख्याः– 34 पृष्ठ 69 से 72 व 74 से 77

वाउचर संख्या 26 माह 23.8.13 ₹503108

गाँधी ग्राउंड में वाटर फाल व फव्वारे के निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई जिनका निपटारा कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाए।

(क) अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों का गलत दरो से भुगतान किये जाने के फलस्वरूप ₹84297/– का अधिक अनुचित भुगतानः–

उक्त निर्माण कार्य कार्य आंबटन पत्र संख्या 2524 दिनाँक 4.9.12 के अन्तर्गत श्री पवन ठाकुर को ₹1099876/– जो एस0पी0एस0आर0 2009 की दरो पर 70.84**%** से अधिक था, आंबटित किया गया। कार्य के प्रथम बिल के अन्तर्गत निष्पादित व भुगतान की गई कुल 6 मदों मे से 3 मदें (मद संख्या 3, 5 व 6) अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मद के रूप में निष्पादित की गई व कुल ₹143163/– भुगतान किया गया। जाँच में पाया गया कि इस भुगतान हेतु ठेकेदार को प्रत्येक मद हेतु एच0पी0एस0आर0 2009 की मानक दर तथा उस पर ठेकेदार का प्रीमियम 88.81**%** लेकर भुगतान कर दिया गया जबकि ठेकेदार को यह कार्य 70.84**%** अधिक प्रीमियम पर आंबटित किया गया था इसके अतिरिक्त नियमानुसार ठेकेदार को मानक दरो पर

ठेकेदार को किया गया कुल प्रीमियम पर तभी भुगतान किया जा सकता है यदि मूल टैण्डर में निष्पादित अतिरिक्त मद के समान प्रकृति की कोई और मद न हो अन्यथा ठेकेदार द्वारा अपने टैण्डर में मद हेतु दी गई दर तथा दर का मानक दर पर प्रीमियम लेकर अतिरिक्त प्रतिस्थापित मद पर भी एच0पी0एस0आर0 2009 की मानक दर पर वह प्रीमियम लेकर दर की गणना कर भुगतान किया जाना अपेक्षित था परन्तु परिषद द्वारा ठेकेदार को अनुचित लाभ देते हुये कार्य के कुल प्रीमियम और वह भी 70.84**%** की जगह 88.81**%** लेकर कुल ₹84297 का अधिक भुगतान कर दिया गया, जिसे नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। किये गये अधिक भुगतान का विवरण निम्नलिखित हैः–

Item No.	Quantity	Rate allowed/paid to the contractor	Rate admissible as per rule (HPSR-2009)	Excess payment
3 (a) Form work (M.B. 34, Page 69 to 72)	76.97m2	158.83+88.81%=299.89 per m2	158.83+70.84%=271.34 per m2	2197
3 (b) Form work	329.10m2	329.70+88.81%=622.51per m2	329.70+70.84%=563.25 per m2	19502
3 (c) Form work	55.78 m2	243.65+88.81%=460.04 per m2	243.65+70.84%=416.25 per m2	2443
5 (a) CC 1:2:4 toe wall	18.46 m3	3294.70+88.81%=6220.72 per m3	3294.70+33.84%=4409.63 per m3	33433
5 (b) CC 1:2:4 Slab etc.	5.77 m3	3547.2+88.81%=6697.47 per m3	3547.20+33.84%=4747.57 per m3	11251
6 CC 1:1.5:3 toe wall	7.59m3	3708.15+88.81%=7001.36 per m3	3708.15+33.84%=4962.99 per m3	15471
			Total	**₹84297**

(ख) गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹10906/– का अधिक भुगतानः–

(I) उक्त कार्य की मद संख्या 3 (सी) पर कुल 55.78 वर्ग मी0 हेतु एच0पी0एस0आर0 2009 की मानक दर ₹243.65 प्रति वर्ग मी0+ठेकेदार का कुल प्रीमियम ₹216.38 (88.81**%** उपर) कुल ₹460.03 प्रति वर्ग मीटर की दर पर कल ₹25661 का भुगतान किया गया जबकि

यह मात्रा 55.78 वर्ग मीटर न होकर केवल 45.80 वर्ग मीटर थी। इस प्रकार ठेकेदार को 9.98 वर्ग मीटर हेतु (55.78–45.80) ₹460.03 प्रति वर्ग मी0 की दर पर कुल ₹4591/– का अधिक भुगतान कर दिया गया।

(II) कार्य के दूसरे चलित बिल, जिसका भुगतान वाउचर संख्या 8 दिनाँक 13.12.2013 के अन्तर्गत किया गया तथा कार्य व बिल का ईन्द्राज माप पुस्तिका संख्या 34 के पृष्ठ 93 से 99 पर लिया गया जाँच में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गईः–

(1) बिल की मद संख्या 4 सीमेन्ट कंक्रीट 1:3:6 के लिए 3.55 मीटर हेतु ₹2632 की दर पर कुल ₹9344 का भुगतान किया गया जबकि यह मात्रा केवल 1.606 घन मीटर थी इस प्रकार मद के अन्तर्गत 1.944 वर्ग मीटर हेतु (3.55–1.606) ₹2632 प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹5117/– का अधिक भुगतान कर दिया गया।

(ii) बिल की मद संख्या 6 सीमेन्ट कंक्रीट 1:6:12 कुल 5.99 घन मीटर हेतु ₹2800 प्रति घन मीटर की दर पर भुगतान किया गया जबकि ठेकेदार द्वारा इस मद हेतु अपनी दर ₹2600 प्रति घन मीटर दी थी। अतः 5.99 घन मीटर हेतु ₹200/– प्रति घन मीटर की दर पर कुल ₹1198 का अधिक भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार उपर वर्णित कुल ₹10906/– के अधिक भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) कार्य समय पर पूर्ण न करने के कारण ठेकेदार से नियमानुसार दण्ड की राशि वसूल न किया जानाः–

कार्य आंबटन पत्र की शर्त संख्या 4 के अनुसार ठेकेदार को कार्य कार्य हेतु आंबटित समय 9 माह से पूर्ण करना होगा अन्यथा प्रतिदिन ₹500 या कार्य की राशि का 10**%** दण्ड स्वरूप वसूला जायेगा। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि कार्य के दूसरे चलित बिल की रिकार्ड प्रविष्टि माह 10/2013 में ली गई जो कार्य हेतु आंबटित समय व माह अर्थात दिनाँक 15.6.13 से 4 माह बाद की गई जिससे स्पष्ट प्रकट है कि ठेकेदार द्वारा कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया परन्तु परिषद द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने के कारण ठेकेदार से दण्ड स्वरूप कोई राशि वसूली नहीं की गई जिसका कारण स्पष्ट किया जाए व की गई कार्यवाही को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से दण्ड की राशि ₹109987 (10**%** कार्य की कुल ₹1099876 का) की वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(घ) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अतिरिक्त प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन करने बारेः–

उपरोक्त निर्माण कार्य के दूसरे बिल तक निष्पादित कुल 18 मदों में से 11 मदें अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदें थी परन्तु उन्हें किसी भी सक्षम अधिकारी निगम अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया और न ही निष्पादन की स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार निष्पादित मदो में से कोई भी मद निगम अभियन्ता द्वारा टैस्ट चैक नहीं की गई जो नियमानुसार अनिवार्य है। अतः नियमानुसार सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त न करने कारण व टैस्ट चैक न करवाने का कारण स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस चूक हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाकर व व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ङ) कार्य के अन्तिम बिल के भुगतान से पूर्व धरोहर राशि वापिस करने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि कार्य के अन्तिम बिल को तैयार नहीं किया गया है जबकि माह 5/2014 में ठेकेदार के दोनों बिलों में काटी गई प्रतिभूति राशि को वापिस कर दिया गया है। अतः बिना अन्तिम बिल को पारित किये प्रतिभूति/धरोहर राशि को वापिस करने का कारण स्पष्ट किया जाये व कार्यवाही को नियमानुसार उचित ठहराया जाये अन्यथा अन्तिम बिल तैयार कर तथा उसमें प्रथम बिल तथा दूसरे बिल में किये गये भुगतानों का ईन्द्राज लेकर और यह सुनिश्चित करते हुए कि ठेकेदार को किसी भी बिल व मद के अन्तर्गत कोई दोहरा/अधिक भुगतान नहीं किया गया है अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। क्योंकि इस कार्य के दूसरे चलित बिल में भी प्रथम चलित बिल में भुगतान की गई मदों का मदानुसार कोई इन्द्राज नहीं किया गया ह। जोकि नियमानुसार अनिवार्य है। अतः अन्तिम बिल तैयार कर व प्रत्येक बिल का इन्द्राज लेकर किये गये भुगतानों को उचित ठहराते हुये अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

17 ठेकेदारों को नगर परिषद भण्डार स सीमन्ट जारी किए बिना निर्माण कार्य करवानाः–

निदेशक, शहरी विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू0डी0–एच0(एफ)(10)–2/2005 दिनाँक 6.9.2005 के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्री जैसे कि सीमेन्ट स्टील इत्यादि की निर्धारित गुणवता व प्रमात्रा के अनुश्रवण (monitoring) हेतु आवश्यक है कि निर्माण सामग्री सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से क्रय करके संविदाकारो ंको उपलब्ध करवाई जाए। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ठेकेदारो ंसे करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु विभागीय स्त्तर पर सीमेन्ट जारी नहीं किया जा रहा है खुले बाजार में उपलब्ध सीमेन्ट मूल्य में लगभग ₹70 से 80 प्रति वैग का अन्तर रहता है तथा छोटे से छोटे कार्य में भी कम से कम 100 बोरी सीमेन्ट की खपत हो जाती है जब ठेकेदार उच्च दरो पर सीमेन्ट खरीद कर प्रयोग में लायेगा तो स्वाभाविक रूप से उच्च दरो ंपर भुगतान भी लेगा। विभागीय स्त्तर पर कार्यों हेतु सीमेन्ट जारी न करने क कारण जानने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना सख्या 126 दिनाँक 1.12.14 द्वारा पूछा गया था जिसके उत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या 817 दिनाँक 4.12.14 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि निर्माण कार्यों हेतु विभागीय स्त्तर पर सीमेन्ट जारी क्यों नहीं किया गया इस बारे में टिप्पणी करना कठिन है लेकिन भविष्य में निर्माण कार्यो हेतु विभागीय स्त्तर पर ही सीमेन्ट जारी किया जायेगा। उपरोक्त उत्तर से स्पष्ट प्रकट होता है कि ऐसा कोई कारण नहीं था जिसके कारण विभागीय स्त्तर पर सीमेन्ट जारी न किया जाता। अतः यह मामाला उच्च अधिकारियों व नगर परिषद के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु सीमेन्ट व स्टील विभागीय स्त्तर पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार ही जारी किया जाए ताकि कार्य की गुणवता भी सुनिश्चित की जा सके वहीं लागत भी कम हो सके।

18 डिपाजिट कार्यो पर विभागीय शुल्क की वसूली न करने बारेः–

कार्य का नामः– नगरोटा चिकित्सालय में दवाईयों की दुकान का निर्माण

ठेकेदार का नामः– श्री राहुल शर्मा

माप पुस्तिका संख्याः– 34 पृष्ठ 4 से 10 तक

वाउचर संख्या 5 दिनाँक 14.9.12 राशि ₹150000

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा नगर परिषद के पास ₹256603/– जमा करवाए गए तथा नगर परिषद द्वारा कार्य हेतु कुल ₹247348/– में निष्पादित किया गया अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इस कार्य के

करने पर नियमानुसार कोई विभागीय शुल्क (Departmental Charges) की वसूली नहीं की गई है जबकि नियमानुसार अगर किसी अन्य संस्था का कार्य किया जाता ह व सेवाऐं प्रदान की जाती है तो उस पर प्रशासनिक व्यय के तौर पर विभागीय शुल्क की वसूली की जाती है। अतः विभागीय शुल्क वसूली न करने का कारण स्पष्ट किया जाये अन्यथा शुल्क वसूली कर तथा नगर परिषद कोष में जमा करवा कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

19 टैण्डर फार्म बिक्री राशि की कम वसूली करने बारेः–

नगर परिषद द्वारा दिनाँक 1.6.12 को निविदाऐं आमन्त्रण पत्र संख्या 325/MCNB/Tender/2012 द्वारा कुल 11 कार्यो हेतु निविदाऐं आमन्त्रित की गई जिसमें टैण्डर फार्म बेचने की तिथि दिनाँक 13.6.12 निर्धारित की गई थी अभिलेख की जाँच में पाया गया कि विभिन्न ठेकेदारो द्वारा अपने प्रार्थना पत्रों में जितन कार्यों के टैण्डर फार्मे की माँग की गई थी तथा जिनकी बिक्री को टैण्डर फार्म जारी करने की भी कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी उन फार्मों की पूर्ण रूप से मात्रा की बिक्री व राशि की वसूली न कर कम फार्मों की बिक्री व राशि वसूल की गई दर्शाई गई जबकि इस सन्दर्भ में किसी भी सक्षम अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है और न कि नगर परिषद के पास कोई ऐसा अभिलेख है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वास्तव में जितनी राशि टैण्डर फार्म विक्रय से वसूल की गई ह वास्वत में उतने ही फार्म बेचे गये है न कि कुल फार्म जितने ठेकेदार द्वारा माँगे गये थे व जिनकी बिक्री की स्वीकृति कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई थी। ऐसी अवस्था में टैण्डर फार्म विक्रय से सम्बन्धित राशि के दुरूपयोग को नकारा नहीं जा सकता है। अतः उच्च स्तरीय जाँच उपरान्त किसी प्रकार के दुरूपयोग को नकारते हुये वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा सम्बन्धित चूककर्ता के विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। कम विक्रय किये गये फार्म व वसूली का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	ठेकेदार का नाम	ठेकेदार द्वारा जिन कार्यों हेतु टैण्डर फार्म की माँग की गई उनका क्रमाँक	निविदाऐं आमन्त्रण पत्र के अनुसार माँग गये फार्मों का	वसूल की गई राशि	कम वसूली गई राशि

कुल मूल्य

				रसीद संख्या	राशि	
1	पवन ठाकुर	कार्य सं0 1, 2, 4, 7, 8 व 12	₹3500	37/10/13.6.12 41/10/14.6.12	₹2000 ₹500	10000
2	विकास पूरी	कार्य सं0 2,4,5,7,8 व 10	₹3000	39/10/13.6.12 42/10/14.6.12	₹2000 ₹500	500
3	राहुल शर्मा	कार्य सं0 2,3,4,5,7 व 8	₹3500	36/10/13.6.12 40/10/14.6.12	₹1000 ₹500	2000
4	पुनीत खोसला	कार्य सं0 2,4,5,7,8 व10	₹3000	38/10	₹2000	1000
5	कोमल ईलैक्ट्रोनिक	कार्य सं0 3 व 11	₹2000	28/10	₹1500	500

20 (क) निर्माण सामग्री की अनावश्यक खरीद करने के सन्दर्भ में:—

स्टॉक की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अनावश्यक रूप से निर्माण सामग्री की खरीद की गई है उादहरण के रूप में एम0ए0एस0 संख्या 1 (07) में निम्न वर्णित सामान की खरीद अनावश्यक रूप में की गई है जो भण्डार पर कई वर्षो से अनुप्युक्त है:—

क्र0सं0	एम0ए0एस0 पृष्ठ संख्या	खरीदे गये सामान का विवरण	मात्रा	माप पुस्तिका सं0	खरीद की तिथि
1	21	बजरी आर0सी0सं0	7.30 घन मीटर	33/37	माह 9/10
		हयूम पाईप	80 रनिंग मीटर	33/39	माह 8/10
2	30	12 एमएम0 स्टील	460.50 किलो	33/40	माह 8/11
3	31	ईन्टें	900 नं0	32/77	माह 1/11
4	54	ईन्टें	2300 नं0	34/79	माह 7/13
		रेत	6 घन मी0	34/79	
		बजरी	3.6 घन मी0	34/79	
		बोल्डर	12 घन मी0	34/82	माह 9/13

5	56	बजरी	7.20 घन मी0	34 / 80	माह 8 / 13
6	57	बोल्डर	34.15 घन मी0	34 / 80	माह 8 / 13
		बजरी	15.30 घन मी0	34 / 80	माह 8 / 13
		बजरी (Aggregate)	13.50 घन मी0	34 / 90	माह 8 / 13
		रेत	15 घन मी0	34 / 90	माह 8 / 13

अतः इस अनावश्यक खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाये व इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि सामान की खरीद तभी की जाए जब यह अत्यन्त आवश्यक हो।

(ख) स्टॉक का भौतिक / प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि प्रशासन द्वारा स्टॉक में पडे सामान का कभी भी प्रत्यक्ष / भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 की धारा 140 के अनुसार प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़ें सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

Section 140:- Physical Verification, " The officer-in-charge of the stores shall cause to maintain the inventory for fixed assets, consumable goods and dead stock or unserviceable items.

Head of the Department shall conduct the physical verification or fixed assets, consumable goods and dead stock or unserceable items or cause it ot be conduct through his subordinate officer (s) or through a committee constituted by him, at least once in a year."

Section 141:- Procedure for verification," Physical verification shall always be condected in the presence of the officer (s), responsible for the custody of the inventory.

A Certificate of verification along with the finding shall be recorded in the stock register by the officer (s) or committee conducting the physical verification."

अतः नियमों की अनुपालना न करना एक गम्भीर चूक है जिसके न करने का कारण स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाए, किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये व की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

21 ₹22497/– का सम्भावित दुरूपयोगः–

वाउचर संख्या 11 माह 11.10.2013 के अन्तर्गत पुराने बस स्टैण्ड पर शौचालय के निर्माण कार्य पर मिट्टी की खुदाई इत्यादि कार्य करवाए जाने पर ₹22497/– का भुगतान किया गया। इस भुगतान में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई जिनका निपटारा कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाये।

(क) इस भुगतान में जे0सी0बी0 द्वारा 7 घन्टे तक मिट्टी की खुदाई करने पर ₹1000/– प्रति घन्टे की दर से ₹7000/– का भुगतान किया गया परन्तु यह कार्य कहा किया गया किसके द्वारा किया गया कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। निर्मित शौचालय से मुख्य सड़क की दूरी केवल लगभग 50 मीटर है जहाँ सीवरेज की लाईन बिछी है। अतः इस कार्य के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण देकर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाए।

(ख) इस भुगतान में पत्थर की कटाई करने पर ₹15497/– का भुगतान किया गया, जिसकी प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या 34 के पृष्ठ 82 पर ली गई। परन्तु यह कार्य किसके द्वारा किया गया कुछ स्पष्ट नहीं किया गया इसके विपरीत इस कार्य की नोटिंग/प्रारूप में यह लिखा गया कि कार्य विभागीय स्त्तर पर 4 मजदूरों द्वारा निष्पादित किया गया। अतः स्पष्ट किया जाए कि जब कार्य विभागीय स्त्तर पर किया गया तो भुगतान का क्या औचित्य था।

(ग) जाँच में पाया गया कि जिनके द्वारा कार्य किया गया उन्हें भुगतान न करके नगर परिषद अभियन्ता श्री जोगिन्द्र सिंह को किया गया जिसका कारण स्पष्ट किया जाए व उच्च स्त्तरीय जाँच उपरान्त व किसी प्रकार के दुरूपयोग को नकारते हुये वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा किसी प्रकार के दुरूपयोग की अवस्था में उचित कार्यवाही अमल में लाकर की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 ठेकेदारो से विभिन्न निर्माण बिलों से काटी गई प्रतिभूतियों से सम्बन्धित अभिलेख का उचित रख रखाव न करने बारेः–

वाउचर संख्या 6 दिनाँक 14.9.12 के अन्तर्गत श्री दलीप कुमार ठेकेदार को टोडन टयालू के पास जन्जघर बनाने के कार्य में उनकी काटी गई पतिभूति ₹17398/– का भुगतान किया गया। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कोई प्रतिभूति रजिस्टर नहीं लगाया गया है केवल माप पुस्तिका जहाँ जिस पृष्ठ पर प्रतिभूति की कटौती की गई थी वहाँ ईन्द्राज लेकर प्रतिभूति ठेकेदार को वापिस कर दी जाती है जबकि प्रतिभूति रजिस्टर को

बनाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यह एक अत्यन्त आवश्यक अभिलेख है तथा इससे ही पता चलता है कि नगर परिषद के पास विभिन्न ठेकेदारों की प्रतिभूति के रूप में कितनी राशि जमा है तथा इसी आवश्यक अभिलेख से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी ठेकेदार को अधिक/गलत भुगतान नहीं किया जा रहा है उदाहरण के रूप में आगामी पैरे में वर्णित ठेकेदार को किये गये धरोहर राशि के अधिक भुगतान का कारण केवल इस अत्यन्त आवश्यक अभिलेख को तैयार न करना है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस अत्यन्त आवश्यक अभिलेख को तैयार करने का परामर्श दिया गया था परन्तु नगर परिषद द्वारा कोई कार्यवाही अमल मे नहीं लाई गई। अतः इस अत्यन्त आवश्यक अभिलेख तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए। पुनः परामर्श दिया जाता है कि अत्यन्त आवश्यक अभिलेख अविलम्ब तैयार कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(क) (i) वाउचर संख्या 10 दिनाँक 28.10.13 के तहत ₹250000/– वाउचर संख्या 8 माह 6.11.13 के तहत ₹63321/– संविदाकारो का राजकीय महाविद्यालय में कैन्टीन निर्माण कार्य हेतु भुगतान किये गये। इस निर्माण कार्य का कुल बिल ₹378050 हेतु निर्मित किया गया परन्तु कार्य हेतु जमा कुल राशि ₹370140 तक सीमित कर बिल पारित किया गया तदानुसार इस कार्य से ₹37014/– प्रतिभूति राशि काटी गई। जाँच में पाया गया कि यह बिल कार्यकारी अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित नहीं किया गया है। अतः स्पष्ट किया जाये कि भुगतान हेतु पारित किये बिना भुगतान किस अवस्था में किया गया।

(ii) दिनाँक 2.5.14 को इस बिल से काटी गई प्रतिभूति राशि ₹37014/– की जगह मूल बिल की 10**%** राशि ₹37805/– का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया (माप पुस्तिका संख्या 34 पृष्ठ 84 व 85) इस प्रकार ठेकेदार को की गई कटौती से ₹791/– का अधिक भुगतान कर दिया गया। इस त्रटि का मूल कारण प्रतिभूति रजिस्टर का न होना है जिससे पता चले कि ठेकेदार से वास्तव में कितनी कटाती की गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब विभिन्न ठेकेदारो से काटी गई प्रतिभूति राशि का अलग से अभिलेख का तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा उक्त वर्णित कार्य में ठेकेदार को किये गये अधिक भुगतान ₹791/– की वसूली उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

23 वाउचर संख्या 13 दिनाँक15.10.2013 के अन्तर्गत मै0 क्वालिटी हार्डवेयर से 35 बोरी सीमेन्ट की खरीद करने हेतु ₹10867/– का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है।

1	बिल संख्या 4644 दिनाँक 8.10.13 25 बोरी सीमेन्ट		₹7764
2	बिल संख्या 4648 दिनाँक 11.10.2013 10 बोरी सीमेन्ट		₹3105

उक्त खरीदे गये सीमेन्ट की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर नं0 101 के पृष्ठ 7 पर ली गई तथा माप पुस्तिका संख्या 30 के पृष्ठ 92 पर वार्ड नं0 6 में अशोक मेहता के घर के समीप रास्ते के निर्माण कार्य पर प्रयोग किया गया दर्शाया गया। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनाँक 8.10.13 को की गई खरीद 25 बोरी के विरूद्ध 30 बोरी सीमेन्ट की खपत सीमेन्ट कंक्रीट कार्य 1:6:12, 13—48 घन मीटर तथा 1:2:4, 13—48 घन मी0 हेतु कुल 115 बोरी सीमेन्ट की आवश्यकता थी जबकि स्टॉक रजिस्टर अनुसार केवल 55 बोरी जारी की गई व खपत की गई।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट प्रकट होता है कि या तो कार्य की मात्रा गलत दर्शाई गई है तथा कार्य पर किये गये सामान की खपत रेत, बजरी सीमेन्ट आदि का दुरूपयोग किया गया है अथवा कार्य निम्न स्तर का किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में उच्च स्तरीय कर किये गये कार्य व सामान की खपत को उचित ठहराया जाए व किसी पकार की अनियमितता की अवस्था में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

24 वाउचर संख्या 10 दिनाँक 23.3.13 के अन्तर्गत मै0 भारत ईलैक्ट्रोनिक, होशियारपर को ₹960000/— का भुगतान नगर में 2 हाई मास्ट लाईट लगाने हेतु किया गया। इस भुगतान की प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या 34 के पृष्ठ 51 व 52 पर ली गई।

इस कार्य हेतु पर्यटन विभाग द्वारा अनुदान प्रदान किया गया जिसमें जिलाधीश काँगड़ा द्वारा आदेश दिये गये थे कि इन हाई मास्ट लगाने से पूर्व स्थान चयन कर उन्हें सूचित करें व अनुमति प्राप्त करें परन्तु नगर परिषद द्वारा कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई की गई बल्कि अपने प्रस्ताव संख्या 248 दिनाँक 26.5.12 द्वारा निर्णय लिया गया कि यह लाईटें एक नया बस स्टैण्ड दूसरी पुराने बस स्टैण्ड पर लगाइ जाए।

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि माप पुस्तिका में यह कहीं विवरण नहीं दिया गया कि यह लाईटों कहाँ लगी है, परिषद सम्पदा रजिस्टर के पृष्ठ 18 के अनुसार यह लाइट एक नये बस स्टैण्ड के पास व दूसरी चिकित्सालय के पास लगाई गई है। अतः जिन आदेशों के अन्तर्गत लाईटें पुराने बस स्टैण्ड के पास न लगाकर चिकित्सालय के पास लगाई गई बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

25 वाहनों की लॉग बुक का उचित प्रकार से रख रखाव न करने बारेः–

वाउचर संख्या 10 माह 10/2013 के अन्तर्गत ₹1 लाख तथा वाउचर संख्या 7 माह 11/13 के अन्तर्गत ₹82718/– का भुगतान मै0 कृपा दृष्टि एच0पी0 सैन्टर हटवास को परिषद वाहनों में वाहन संख्या एच0पी0 40–5499, एच0पी0 40–7770, एच0पी0–40–3499 में माह 4, 6, 7 व 8/2013 में डलवाए गये तेल (डीजल व पैट्रोल) बिलों के भुगतान स्वरूप किया गया। नगर परिषद वाहनों के रख रखाव सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में निम्नलिखित गम्भीर अनियमितताऐं पाई गई जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद वाहनों का गम्भीर दुरूपयोग किया जा रहा है। वाहनों पर कोई नियन्त्रण नहीं रखा गया है। जहाँ एक तरफ नगर परिषद की वित्तीय स्थिति इतनी दयनीय है कि परिषद कर्मचारियों को वेतन देने में भी दिक्कत आ रही है। वहीं दूसरी तरफ वाहनों पर अनियमित व्यय, जिस पर कोई नियन्त्रण नहीं रखा गया है एक गम्भीर चूक है जिसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा उच्च स्तरीय जाँच उपरान्त चूककर्ता के विरूद्ध उचित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए पाई गई अनियमितताओं का विवरण निम्नलिखित है।

(क) नगर परिषद द्वारा नगर का कूड़ा कचरा उठा कर नगर परिषद काँगड़ा द्वारा निर्मित, उठा कर नगर परिषद काँगड़ा द्वारा निर्मित ठोस कूड़ा प्रबन्धन संयन्त्र में काँगड़ा जा कर फैंका जाता है इस हेतु नगर परिषद के वाहन कभी एच0पी0–40–5499 कभी वाहन संख्या एच0पी0–40–7770 को प्रयोग में लाया जाता है तथा इन दोनों वाहनों को नगर परिषद द्वारा दैनिक वेतन पर रखे गये चालक श्री अमित कुमार द्वारा चलाया जाता है तथा पत्येक फेरे में वाहन द्वारा 48 से 49 किलोमीटर की यात्रा की जाती है।

(i) वाहनों की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि वाहनों की लॉग बुक को किसी भी अधिकारी द्वारा कभी भी सत्यापित नहीं किया गया है केवल वाहन चालक श्री अमित कुमार द्वारा ही इसे भरा गया है तथा उनके द्वारा प्रतिदिन कम से कम दो फेरे तथा अधिकतम 5 फेरे लगाए गये दर्शाए गए है अर्थात उनके द्वारा कूड़ फैंकने हेतु 100 किलोमीटर से लेकर 240 किलो मीटर तक यात्रा की गई तथा तदानुसार तेल की खपत की गई परन्तु इन यात्राओं को किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 129 दिनाँक 2.12.14 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से स्थिति स्पष्ट करने लिखा गया कि एक फेरा लगाने में कितना समय लगता है जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 823 दिनाँक 6.12.14 द्वारा सूचित किया गया कि एक फेरा लगाने से 2½ घन्टे से 3 घन्टे का समय लगता है। कार्य हेतु लगने वाले समय से ऐसा प्रतीत होता है कि कूड़ा फेंकने हेतु गाड़ी द्वारा प्रतिदिन

कम से कम दो फेरे व अधिकतम 4 से 5 फेरे लगाना कदापि सम्भव नहीं है जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि गाड़ी का दुरूपयोग किया गया है लॉग बुक में ऐसी यात्रा दर्शाई गई है जो कदापि सम्भव ही नहीं है जैसे दिनाँक 31.6.13 को भी 1 फेरा लगाया गया दर्शाया गया है। अतः इस सन्दर्भ में उच्च स्तरीय जाँच अमल में लाई जाए व की गई यात्राओं को उचित ठहराया जाये अन्यथा दुरूपयोग हेतु जिम्मेवारी निर्धारित कर व उचित कार्यवाही अमल में लाकर की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अंकेक्षण अवधि में लगाए गये फेरों का विवरण निम्नलिखित है।

वर्ष	**लगाए गए फेरों का विवरण**					
	2 फेरे	3 फेरे	4 फेरे	5 फेरे	6 फेरे	7 फेरे
2012—13	119 बार	141 बार	61 बार	5 बार	—	1 बार
2013—14	114 बार	126 बार	50 बार	2 बार	—	—

(ii) गाड़ी की लॉग बुक का किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापन न करने का कारण स्पष्ट किया जाए।

(iii) गाड़ी संख्या 40—5499 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 5.4.13 को गाड़ी की प्रारम्भिक रिडिंग 44168 थी तथा दिनाँक 6.6.13 की यह 44314 पर बन्द हुई (पृष्ठ—35) परन्तु 36 पर पुनः दिनाँक 5.4.13 स यात्रा दर्शाई गई परन्तु मीटर की रिडिंग दिनाँक 6.6.13 की अर्थात 44314 से शुरू हुई दर्शाकर दिनाँक 8.4.13 को 44408 किलोमीटर पर बन्द हुई दर्शाई गई, जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि चालक द्वारा लॉग बुक मीटर की वास्तविक रीडिंग पर न भर कर अपनी मर्जी से भरी गई है। अतः जाँच उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv) बिल संख्या 1675 व 1676 दिनाँक 19.7.13 के अन्तर्गत मै0 कृपा दृष्टी एच0पी0—सैन्टर हटवास से परिषद के दोनों वाहनों एच0पी0 —40—7700 व एच0पी0—40—5499 के लिये अलग अलग 2 किलो ग्रीस, ईन्जन आईल 15 लीटर व हाईड्रोलिक आईल 20 लीटर की खरीद की गई व क्रमशः ₹7080 व ₹6960 का भुगतान किया गया दर्शाया गया। इस खरीद को वाहन चालक के अतिरिक्त किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा न तो सत्यापित किया गया न उचित ठहराया गया और न ही यह स्पष्ट किया गया कि कब प्रयोग में लाया गया तथा इससे पूर्व कब खरीद की गई थी तथा गाड़ी द्वारा कितनी यात्रा की गई जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस सामान का दुरूपयोग किया गया है। अतः उच्च स्तरीय जाँच उपरान्त की गई क्रय को

उचित ठहराया जाये। किसी प्रकार के दुरूपयोग की अवस्था में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(v) वाउचर संख्या 4 दिनाँक 14.9.12 के अन्तर्गत ₹16730 की निकासी गाड़ी संख्या–40–5499 की ईन्शयोरेन्स कराने हेतु की गई। अभिलेख में इस राशि की रसीद उपलब्ध नहीं है और न ही ईन्शयोरैन्स की पालिसी, अतः न्यू इण्डिया ईन्शयोरेन्स कम्पनी की सम्बन्धित रसीद आगामी अंकेक्षण में दर्शाकर किए गये भुगतान को उचित ठहराया जाए।

26 वाऊचर संख्या 6 माह 3.10.13 के अन्तर्गत परिषद निर्माण कार्यों मे ंप्रयोग हेतु 10 मीटर टन सीमेन्ट की खरीद करने हेतु प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ₹45081/– का भुगतान किया गया। निगम द्वारा अपने performa invoice में सीमेन्ट का मूल्य फैक्टरी के स्त्तर पर ₹3220/– प्रति मीटरी टन की दर पर कुल ₹32200/– की माँग की गई परन्तु ए0सी0सी0 लिमिटेड जिसके द्वारा सीमेन्ट की आपूर्ति की गई अपने Excise invoice cum transfer challan में यह दर ₹2830.80 प्रति मीटरी टन, 10 मीटरी टन हेतु ₹28308 दर्शाई गई इस प्रकार परिषद द्वारा इस खरीद में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ₹3892/– का अधिक भुगतान किया गया जिसे नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा भुगतान की वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

27 कार्य का नामः– पटवार खाना के निकट शौचालय का निर्माण

ठेकेदार का नामः– श्री विकास पूरी

माप पुस्तिका संख्याः– 34 पृष्ठ 14 से 18

बिल संख्याः– तीसरा चलित बिल

वाउचर संख्या 13 दिनाँक 25.9.12 ₹72416

उक्त कार्य से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित गम्भीर त्रुटियाँ पाई गई जिनका निपटारा कर किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए।

इस बिल को बिल फार्म में प्रथम व अन्तिम बिल दर्शाया गया और इसी प्रकार माप पुस्तिका में भी न तो कार्य शुरू करने की कार्य समाप्त होने की और न ही रिकार्ड प्रविष्टि लेने की कोई तिथि दर्शाई गई और न ही यह स्पष्ट किया गया कि यह तीसरा चलित बिल है तथा बिल की रिकार्ड प्रविष्टि में पुरानी भुगतान की गई मदो ंकी कोई प्रविष्टि नहीं ली गई

रिकार्ड प्रविष्टि इस प्रकार की गई जैसे की यह प्रथम व अन्तिम बिल हो, केवल नोटिंग में यह हवाला दिया गया कि यह तीसरा चलित बिल है। अतः नियमानुसार बिल तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब उच्च स्त्तरीय जाँच कर यह सुनिश्चित किया जाये कि इस कार्य के अन्तिम बिल में प्रत्येक बिल के अन्तर्गत भुगतान की गई प्रत्येक मद का समायोजन किया गया है किसी भी बिल में किसी भी मद के अन्तर्गत दोबारा ईन्द्राज लेकर कोई दोहरा भुगतान नहीं किया गया है। भविष्य में सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक चलित बिल में पिछले चलित बिल का मदानुसार ईन्द्राज लेने उपरान्त ही भुगतान किया जाए।

28 वार्ड नं0 2 में भुट्टू के घर से श्री जगदीश के घर तक रास्ते का मुरम्मत कार्य को अनियमित रूप से आंबटन करने बारेः—

माप पुस्तिका संख्याः— 34 पृष्ठ 27 से 29 तक

वाउचर संख्या 5 दिनाँक 9.11.12 राशि ₹253620/—

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु निविदाऐं आमन्त्रित करने हेतु निविदाऐं आमन्त्रण पत्र संख्या 325 दिनाँक 1.6.12 द्वारा विज्ञापित किया गया जिसमें कार्य की अनुमानित लागत ₹200000 व धरोहर राशि ₹4000 दर्शाई गई। इस कार्य हेतु 3 ठेकेदारों द्वारा अपनी निविदाए दो गई परन्तु कहीं भी यह प्रमाण नहीं दिया गया कि ठेकेदारों द्वारा टैण्डर भरते समय धरोहर राशि जमा भी करवाई गई थी अथवा नहीं। बिना धरोहर राशि के टैण्डर किस अवस्था में खोले गये व स्वीकृत किये गये यह कार्य आंबटन की पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अतः वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त इस कार्य की मद संख्या 1 के अन्तर्गत रास्ते के निर्माण हेतु 11—1 घन मीटर स्टोन सोलिंग निष्पादित की जानी थी परन्तु 1 घन मीटर भी निपादित/बिछाई नहीं गई जिसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा स्पष्ट किया जाए कि अगर यह मद की जरूरत नहीं थी तो इसे डी0एन0आई0टी0 में क्यों लिया गया। व कार्य समाप्ति पर व भुगतान करने से पूर्व माप पुस्तिका में कार्य की गुणवता के सन्दर्भ में व कार्य समाप्ति के सन्दर्भ में कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। जिसका कारण स्पष्ट किया जाए व जाँच उपरान्त किसी प्रकार के निम्न स्त्तरीय कार्य को नकारते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

29 अन्यः—

(1) वाउचर संख्या 19 दिनाँक 28.9.12 के अन्तर्गत ₹3 लाख जिलाधीश काँगड़ा स्थित धर्मशाला को विधायक निधि से बहुउद्देश्य भवन के निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान राशि जो पत्र संख्या 1390–93 दिनाँक 11.4.11 द्वारा प्राप्त हुई थी तथा जिसे 1 वर्ष में उपयोग किया जाना अपेक्षित था परन्तु नगर परिषद प्रयोग करने में असफल रही। अतः राशि को वापिस भेजा गया। राशि को समयवध प्रयोग न करने व भवन न बनाने का कारण स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त भुगतान से सम्बन्धित पावती अभिलेख के साथ संलग्न नहीं है जिसे प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाया जाए।

(ii) वाउचर संख्या 3 माह 10/13 के अन्तर्गत नगर परिषद के दूरभाष बिल ₹2315 का भुगतान किया गया इस बिल में पुरानी बकाया राशि ₹810.19 का भुगतान किया गया परन्तु इस बकाया राशि के सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात यह राशि किस माह से सम्बन्धित थी जिसका भुगतान नहीं किया गया था कारण स्पष्ट करते हुए आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शा कर व सत्यापित करवाकर किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए।

(iii) नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण रजिस्टर/अभिलेख का उचित रख रखाव नहीं किया गया है जबकि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 12 में भी अभिलेख तैयार करने का परामर्श दिया गया था परन्त, नगर परिषद द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जो चिन्तनीय विषय है। अतः यह मामला परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जा है व परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब अभिलेख तैयार कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

i	E.C.R. of working Employees
ii	E.C.R,. of Pensioners
iii	Contractor ledger
iv	Security Register
v	Earnest Money Register
vi	Tender Register
vii	Propeerty Register
viii	House tax Assesment Register
ix	Clasified Abstract of Income and Expenditure register

30 **लघु आपत्ति विवरणिकाः**—यह अलग से जारी नहीं की गई।

31 **निष्कर्षः**—नगर परिषद के लेखों का रख—रखाव नियमानुसार/निर्धारित प्रपत्रों/रजिस्टरों पर नहीं किया जा रहा है। लेखों के रख—रखाव में सुधार व वर्षों से लम्बित पड़े अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15) V 53/75 खण्ड—3—3350—3351 दिनांक10.06.15, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002

पंजीकृत

2. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/—

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

परिशिष्ट "क" **पैरा संख्या 1 (ii) में सन्दर्भित**

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/73 से 3/76

1	पैरा–2 (d)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (c)	अनिर्णीत
3	पैरा–10 (a)	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (c)	अनिर्णीत
5	पैरा–11 (b)	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (b)	अनिर्णीत
7	पैरा–13	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (b)	अनिर्णीत
9	पैरा–18 (a)	अनिर्णीत
10	पैरा–18 (b)	अनिर्णीत
11	पैरा–19 (a)	अनिर्णीत
12	पैरा–19 (b)	अनिर्णीत
13	पैरा–19 (c)	अनिर्णीत
14	पैरा–21 (b)	अनिर्णीत
15	पैरा–24 (a to g)	अनिर्णीत
16	पैरा–25	अनिर्णीत
17	पैरा–26	अनिर्णीत

18	पैरा—27	अनिर्णीत
19	पैरा—28	अनिर्णीत
20	पैरा—29	अनिर्णीत
21	पैरा—30	अनिर्णीत
22	पैरा—32 (g)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/78

1	पैरा—6 (1 & 2)	अनिर्णीत
2	पैरा—7	अनिर्णीत
3	पैरा—11	अनिर्णीत
4	पैरा—18 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा—19 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा—19 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा—19 (3)	अनिर्णीत
8	पैरा—20	अनिर्णीत
9	पैरा—21 (a)	अनिर्णीत
10	पैरा—21 (b)	अनिर्णीत
11	पैरा—21 (c)	अनिर्णीत
12	पैरा—21 (e)	अनिर्णीत
13	पैरा—21 (f)	अनिर्णीत
14	पैरा—21 (g)	अनिर्णीत
15	पैरा—22 (1)	अनिर्णीत
16	पैरा—22 (3)	अनिर्णीत
17	पैरा—22 (4)	अनिर्णीत
18	पैरा—23	अनिर्णीत
19	पैरा—24	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/78 से 3/81

1	पैरा—4	अनिर्णीत

2	पैरा–13 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–14 (4)	अनिर्णीत
4	पैरा–14 (5)	अनिर्णीत
5	पैरा–14 (6)	अनिर्णीत
6	पैरा–14 (7)	अनिर्णीत
7	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत
8	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत
9	पैरा–16 (3)	अनिर्णीत
10	पैरा–16 (4)	अनिर्णीत
11	पैरा–17	अनिर्णीत
12	पैरा–18	अनिर्णीत
13	पैरा–21	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/81 से 3/83

1	पैरा–5 (d)	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–11 (a)	अनिर्णीत
5	पैरा–11 (b)	अनिर्णीत
6	पैरा–12	अनिर्णीत
7	पैरा–13	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (a)	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (b)	अनिर्णीत
10	पैरा–15 (a)	अनिर्णीत
11	पैरा–15 (b)	अनिर्णीत
12	पैरा–16	अनिर्णीत
13	पैरा–17	अनिर्णीत
14	पैरा–18 (a)	अनिर्णीत
15	पैरा–18 (b)	अनिर्णीत

16	पैरा–19 (a)	अनिर्णीत
17	पैरा–19 (b)	अनिर्णीत
18	पैरा–20	अनिर्णीत
19	पैरा–21 (a)	अनिर्णीत
20	पैरा–21 (b)	अनिर्णीत
21	पैरा–22	अनिर्णीत
22	पैरा–24	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/87

1	पैरा–5 (a)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (b)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (c)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (d)	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत
6	पैरा–10	अनिर्णीत
7	पैरा–12	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–14	अनिर्णीत
10	पैरा–15	अनिर्णीत
11	पैरा–16	अनिर्णीत
12	पैरा–17	अनिर्णीत
13	पैरा–18	अनिर्णीत
14	पैरा–20	अनिर्णीत
15	पैरा–21	अनिर्णीत
16	पैरा–22	अनिर्णीत
17	पैरा–23	अनिर्णीत
18	पैरा–24	अनिर्णीत
19	पैरा–25	अनिर्णीत
20	पैरा–26	अनिर्णीत

21	पैरा–28	अनिर्णीत
22	पैरा–30 (1)	अनिर्णीत
23	पैरा–30 (3)	अनिर्णीत
24	पैरा–30 (4)	अनिर्णीत
25	पैरा–30 (5)	अनिर्णीत
26	पैरा–30 (7 व 8)	अनिर्णीत
27	पैरा–30 (9)	अनिर्णीत
28	पैरा–31 (1)	अनिर्णीत
29	पैरा–31 (2)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/90

1	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा–13 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा–13 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा–13 (3)	अनिर्णीत
6	पैरा–13 (4)	अनिर्णीत
7	पैरा–13 (7)	अनिर्णीत
8	पैरा–13 (9) (क)	अनिर्णीत
9	पैरा–13 (9) (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा–13 (10)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (11)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (22)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (23)	अनिर्णीत
15	पैरा–15 (10)	अनिर्णीत
16	पैरा–15 (11)	अनिर्णीत
17	पैरा–15 (13)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/95

1	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा–6	अनिर्णीत
5	पैरा–7	अनिर्णीत
6	पैरा–10 (4)	अनिर्णीत
7	पैरा–11	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–15(1 से 7)	अनिर्णीत
10	पैरा–15 (8) (3 से 11)	अनिर्णीत
11	पैरा–15 (9)	अनिर्णीत
12	पैरा–15 (11)	अनिर्णीत
13	पैरा–15 (15)	अनिर्णीत
14	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत
15	पैरा–17 (1)	अनिर्णीत
16	पैरा–17 (1, 2, 4, 5 व 6)	अनिर्णीत
17	पैरा–20	अनिर्णीत
18	पैरा–21 (1)	अनिर्णीत
19	पैरा–21 (2)	अनिर्णीत
20	पैरा–21 (5)	अनिर्णीत
21	पैरा–21 (6)	अनिर्णीत
22	पैरा–21 (7)	अनिर्णीत
23	पैरा–21 (9)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/03

1	पैरा–4 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (2)	अनिर्णीत

3	पैरा–4 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (5)	अनिर्णीत
6	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा–7	अनिर्णीत
10	पैरा–9	अनिर्णीत
11	पैरा–11	अनिर्णीत
12	पैरा–12	अनिर्णीत
13	पैरा–13	अनिर्णीत
14	पैरा–14	अनिर्णीत
15	पैरा–15	अनिर्णीत
16	पैरा–17	अनिर्णीत
17	पैरा–18	अनिर्णीत
18	पैरा–20	अनिर्णीत
19	पैरा–21	अनिर्णीत
20	पैरा–23	अनिर्णीत
21	पैरा–24	अनिर्णीत
22	पैरा–25	अनिर्णीत
23	पैरा–26	अनिर्णीत
24	पैरा–27	अनिर्णीत
25	पैरा–28	अनिर्णीत
26	पैरा–29	अनिर्णीत
27	पैरा–30	अनिर्णीत
28	पैरा–31	अनिर्णीत
29	पैरा–32	अनिर्णीत
30	पैरा–33	अनिर्णीत
31	पैरा–34	अनिर्णीत

32	पैरा–35	अनिर्णीत
33	पैरा–37	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/03 से 3/07

1	पैरा–2 (a)	अनिर्णीत
2	पैरा–2 (b)(i)	अनिर्णीत
3	पैरा–2 (b)(iii)	अनिर्णीत
4	पैरा–2 (b)(iv)	अनिर्णीत
5	पैरा–3	अनिर्णीत
6	पैरा–3 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (i)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (iii)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (vi)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (viii)	अनिर्णीत
11	पैरा–4 (ix)	अनिर्णीत
12	पैरा–4 (x)	अनिर्णीत
13	पैरा–5 (I)	अनिर्णीत
14	पैरा–5 (II)	अनिर्णीत
15	पैरा–5 (ix)	अनिर्णीत
16	पैरा–6 (i)	अनिर्णीत
17	पैरा–6 (iii)	अनिर्णीत
18	पैरा–6 (vi) (a)	अनिर्णीत
19	पैरा–6 (vi) (b)	अनिर्णीत
20	पैरा–6 (vii)	अनिर्णीत
21	पैरा–6 (x)	अनिर्णीत
22	पैरा–6 (xi)	अनिर्णीत
23	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत
24	पैरा–7 (i)(b)	अनिर्णीत
25	पैरा–7 (ii)	अनिर्णीत

26	पैरा–7 (ii)(b)	अनिर्णीत
27	पैरा–7 (iii)	अनिर्णीत
28	पैरा–7 (iv)(a)	अनिर्णीत
29	पैरा–7 (iv)(b)	अनिर्णीत
30	पैरा–7 (v)	अनिर्णीत
31	पैरा–7 (vi)	अनिर्णीत
32	पैरा–7 (viii)	अनिर्णीत
33	पैरा–7 (viii) (a)	अनिर्णीत
34	पैरा–7 (viii)(b)	अनिर्णीत
35	पैरा–7 (viii)(c)	अनिर्णीत
36	पैरा–7 (x)	अनिर्णीत
37	पैरा–8	अनिर्णीत
38	पैरा–10 (i)	अनिर्णीत
39	पैरा–10 (ii)	अनिर्णीत
40	पैरा–10 (iii)	अनिर्णीत
41	पैरा–11	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/09

1	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (ii)	अनिर्णीत
3	पैरा–8 (i)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (i)	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–14 (i)	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (ii)	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (iii)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (iv)	अनिर्णीत
11	पैरा–14 (v)	अनिर्णीत

12	पैरा–15	अनिर्णीत
13	पैरा–16	अनिर्णीत
14	पैरा–17 (i)(ii)	अनिर्णीत
15	पैरा–18	अनिर्णीत
16	पैरा–19	अनिर्णीत
17	पैरा–20	अनिर्णीत
18	पैरा–21	अनिर्णीत
19	पैरा–22	अनिर्णीत
20	पैरा–24	अनिर्णीत
21	पैरा–26	अनिर्णीत
22	पैरा–27	अनिर्णीत
23	पैरा–28	अनिर्णीत
24	पैरा–29 (i)	अनिर्णीत
25	पैरा–29 (ii)	अनिर्णीत
26	पैरा–30	अनिर्णीत
27	पैरा–31	अनिर्णीत
28	पैरा–32	अनिर्णीत
29	पैरा–34 (i)	अनिर्णीत
30	पैरा–34 (ii)	अनिर्णीत
31	पैरा–35	अनिर्णीत
32	पैरा–36 (i)	अनिर्णीत
33	पैरा–36 (ii)	अनिर्णीत
34	पैरा–37	अनिर्णीत
35	पैरा–38	अनिर्णीत
36	पैरा–39	अनिर्णीत
37	पैरा–40	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/09 से 3/12

1	पैरा–3	निर्णीत (पैरे का पुनः प्रारूपित किया गया)

2	पैरा–3.1	निर्णीत	(की गई कार्यवाही अनुसार अब केवल 2 खातों में राशि जमा है)
3	पैरा–4.1	निर्णीत	(पैरे का पुनः प्रारूपित किया गया)
4	पैरा–4.2	अनिर्णीत	
5	पैरा–4.3	अनिर्णीत	
6	पैरा–4.3.1	अनिर्णीत	
7	पैरा–4.3.2	अनिर्णीत	
8	पैरा–5.1	अनिर्णीत	
9	पैरा–5.2	अनिर्णीत	
10	पैरा–5.3	निर्णीत	(की गई कार्यवाही व पैरे का पुनः प्रारूपित किया गया)
11	पैरा–5.4	अनिर्णीत	
12	पैरा–5.5	अनिर्णीत	
13	पैरा–5.6	अनिर्णीत	
14	पैरा–5.7	अनिर्णीत	
15	पैरा–5.8	अनिर्णीत	
16	पैरा–5.9	अनिर्णीत	
17	पैरा–5.10	निर्णीत	(₹182237 रसीद संख्या 73/10 दिनाँक 1.4.13 द्वारा वसूल कर जमा करवाए गए)
18	पैरा–6.1	अनिर्णीत	
19	पैरा–6.2	निर्णीत	(₹100 रसीद संख्या 21/20 दिनाँक 26.11.14 द्वारा वसूल किये गये)
20	पैरा–6.3	अनिर्णीत	
21	पैरा–6.4	अनिर्णीत	
22	पैरा–6.5	अनिर्णीत	
23	पैरा–6.6	अनिर्णीत	
24	पैरा–6.7	अनिर्णीत	
25	पैरा–6.8	अनिर्णीत	
26	पैरा–6.9	निर्णीत	(₹110 का समायोजन वाउचर संख्या 8 दिनाँक 15.9.12 द्वारा किया गया)

27	पैरा–6.10	अनिर्णीत	
28	पैरा–6.11	अनिर्णीत	
29	पैरा–6.12	निर्णीत	(₹1000 रसीद संख्या 040119 दिनाँक 15.9.12 द्वारा वसूल कर जमा करवाए गए)
30	पैरा–6.13	अनिर्णीत	
31	पैरा–6.14	अंशतः निर्णीत	(क्रम संख्या 6 पर वर्णित श्री अरूण कुमार (सं0क0) के अतिरिक्त अन्य सभी से की गई वसूली उपरान्त)
32	पैरा–6.15		
33	पैरा–6.16	निर्णीत	(रसीद संख्या 29/20 दिनाँक 27.11.14 के अन्तर्गत की गई वसूली उपरान्त)
34	पैरा–6.17	अनिर्णीत	
35	पैरा–7.1	अनिर्णीत	
36	पैरा–7.2	अनिर्णीत	
37	पैरा–7.3	निर्णीत	(कर्मचारी के वेतन माह 11/14 देय माह 12/14 में कटौती कर ली गई)
38	पैरा–8.1	अनिर्णीत	
39	पैरा–8.2	अनिर्णीत	
40	पैरा–8.3	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
41	पैरा–8.4	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
42	पैरा–8.5	अनिर्णीत	
43	पैरा–8.6	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
44	पैरा–8.7	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
45	पैरा–8.8	अनिर्णीत	
46	पैरा–9.1	निर्णीत	(परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 717 दिनाँक 14.11.14 में लिये गये निर्णय अनुसार)
47	पैरा–9.2	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
48	पैरा–9.3	अशतः निर्णीत	(वाउचर संख्या 11 दिनाँक 19.2.13 से ₹5000 दिनाँक 1.1.13 ₹10000, 21 दिनाँक 30.1.13 से ₹2000, 9

			दिनाँक 12.4.13 ये ₹5000 की वसूली की गई)
49	पैरा–9.4	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
50	पैरा–9.5	निर्णीत	(एमबी नं0 33 पृष्ठ 78 पर ठेकेदार की प्रतिभूति में राशि का समायोजन कर दिया गया)
51	पैरा–9.6	निर्णीत	(माह 11/13 के पश्चात निर्देशानुसार कार्य किया जा रहा है)
52	पैरा–9.7	निर्णीत	(माप पुस्तिका संख्या 33 पृष्ठ 78 पर ठेकेदार की जमा राशि में समायोजन किया गया)
53	पैरा–9.8	निर्णीत	(माह नवम्बर 2013 के पश्चात निदेशानुसार रिकार्ड तैयार कर लिया गया)
54	पैरा–9.9	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख व दिये गये उत्तर अनुसार)
55	पैरा–9.10	अनिर्णीत	
56	पैरा–10	अनिर्णीत	
57	पैरा–11.1	अनिर्णीत	
58	पैरा–11.2	अनिर्णीत	
59	पैरा–12	अनिर्णीत	
60	पैरा–13	अनिर्णीत	

एतराज सूचियाँ

अवधि	पैरा	स्थिति
9/73 से 3/76	1 से 17	अनिर्णीत
4/76 से 3/78	5 से 29	अनिर्णीत
4/78 से 3/81	1 से 5	अनिर्णीत